[2020] 6 एस. सी. आर 303

क.

रत्नागिरी नगर परिषद बनाम.

गंगाराम नारायण अम्बेडकर और ओ. आर. एस. (2020 की सिविल अपील संख्या 2412)

06 मई, 2020

[ए**.** एम**.** खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी**,** जे**.** जे**.]**

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010:

एस।29 – सिविल न्यायालय की अधिकारिता का बार-पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए-आयोजितःअधिनियम के तहत न्यायाधिकरण की स्थापना के बाद, सिविल न्यायालय पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मुकदमे पर विचार करने के लिए सक्षम नहीं है।29 और भोपाल गैस मामले में उक्ति-इस तरह के कारण/कार्रवाई को निर्णय के लिए न्यायाधिकरण को स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

ग

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963:

डी.

एस।41(च)-इंजंक्शन-इनकार-आयोजितःएस को देखते हुए।41(च) उपद्रव के आधार पर रोक लगाने के लिए निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती है, एक ऐसा कार्य जिसके बारे में यह उचित रूप से स्पष्ट नहीं है कि यह एक उपद्रव होगा-वर्तमान मामले में, दीवानी अदालत को परियोजना को चुनौती देते हुए तब स्थानांतरित किया गया था जब परियोजना प्रारंभिक चरण में थी।

ई.

एस।41(ज)-इंजंक्शन-इनकार-आयोजितःजब कार्यवाही के किसी अन्य सामान्य तरीके से समान रूप से प्रभावी राहत प्राप्त की जा सकती है, तो निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती है-वर्तमान मामले में, वादी के कारण को परियोजना से संबंधित सक्षम अधिकारियों को संबोधित किया जा सकता था।

च

राहत मिलती हैः

स्थायी निषेधाज्ञा-स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा-राज्य अधिकारियों के खिलाफ-उन्हें ठोस अपशिष्ट निपटान परियोजना शुरू करने से रोकने की मांग-आयोजितःवादी ने परियोजना के संबंध में लिए गए सक्षम प्राधिकारी के किसी भी निर्णय को चुनौती नहीं दी और न ही किसी घोषणात्मक राहत की मांग की गई-स्थायी निषेधाज्ञा की राहत पर्याप्त नहीं थी-मुकदमे को सीमा पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था-निषेधाज्ञा।

जी.

एच.

क.

प्रमाणः

सबूत का बोझ-कार्रवाई योग्य उपद्रव साबित करने के लिए-आयोजितःकार्रवाई योग्य उपद्रव के कारण को साबित करने के लिए सबूत का प्रारंभिक बोझ वादी पर है-बचाव में कमजोरी वादी को राहत देने और प्रतिवादियों पर बोझ डालने का आधार नहीं हो सकती है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः**1.1** वर्तमान मुकदमा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, **2010** के लागू होने की तारीखों और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एन. जी. टी.) की स्थापना की तारीख से पहले दायर किया गया था।हालाँकि, न्यायाधिकरण की स्थापना के बाद भी यह दीवानी अदालत के समक्ष लंबित था।निचली अदालत ने दीवानी अदालत की अधिकारिता पर रोक के संबंध में धारा **29** के रूप में स्पष्ट प्रावधान को भी स्वीकार नहीं किया है।वाद की अवधि और वर्तमान वाद की विषय वस्तु के अवलोकन पर, यह निर्विवाद है कि मामले में स्पष्ट रूप से पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकार के प्रवर्तन सहित पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल थे।यह कारण वादी द्वारा मांगे गए स्थायी निषेधाज्ञा की राहत का आधार था।धारा **29** और विशेष रूप से भोपाल गैस मामले में कथन के आधार पर, दीवानी अदालत को मुकदमा जारी नहीं रखना चाहिए था।यह एक अलग मामला है कि निचली अदालत ने इस निष्कर्ष पर मुकदमे को खारिज करने का फैसला किया कि वादी वाद में उनके द्वारा स्थापित मामले को साबित करने में विफल रहे थे।एक बार जब मुकदमे को कानून द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, तो दीवानी अदालत मुकदमे के साथ आगे नहीं बढ़ सकती थी और सबसे अच्छा, पक्षों को **2010** के अधिनियम द्वारा बनाए गए विशेष मंच, एनजीटी के समक्ष भेजा जा सकता था। वास्तव में, निचली अदालत को इस अदालत के कथित फैसले का लाभ नहीं मिला।क्योंकि, उक्त निर्णय **9.8.2012** पर प्रस्तुत किया गया था।हालाँकि, यह दिलचस्प है कि पहली अपीलीय अदालत और उच्च न्यायालय ने भी **2010** के अधिनियम की धारा **29** और विशेष रूप से भोपाल गैस मामले में इस न्यायालय के फैसले के प्रभाव का विज्ञापन करना आवश्यक नहीं समझा।**[**पैरा **13] [322-**बी**-**एफ**]**

ग

डी.

ई.

च

जी.

*भोपाल गैस पीठ महिला उद्योग संगठन और अन्य।

v. भारत संघ और अन्य। (2012) 8 एससीसी 326:[2012] 12 एस. सी. आर. 947-पर निर्भर।

एच.

रत्नागिरी नगर परिषद बनाम गंगाराम नारायण अम्बेडकर और ओआरएस।

305

क.

1.2 तथ्य यह है कि मुकदमा पहले दायर किया गया था, इसका मतलब यह नहीं है कि दीवानी अदालत पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकार के प्रवर्तन सहित पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के संबंध में कार्रवाई (वर्तमान मामले में, पहली अपीलीय अदालत के समक्ष पहली अपील और उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील मुकदमे की निरंतरता है) जारी रख सकती थी। किसी भी मामले में, इस न्यायालय के स्पष्टीकरण के बाद संदेह की कोई कमी नहीं रही कि इस तरह के लंबित कारण/कार्रवाई को निर्णय के लिए एन. जी. टी. को स्थानांतरित किया जाना चाहिए।इस निष्कर्ष के सहवर्ती के रूप में, वादी के पक्ष में दिए गए निष्कर्ष और निष्कर्ष, विशेष रूप से प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा, कोई लाभ नहीं होंगे और कानून में अधिकार क्षेत्र और शून्यता के बिना समाप्त हो जाते हैं।**[**पैरा **13] [322-**एफ**-**एच**]**

ग

2. प्रतिवादी संख्या **1** से **19** द्वारा दायर की गई शिकायत भी एक अन्य मौलिक कमी से ग्रस्त है।वास्तव में, यह एक चतुराई से तैयार की गई शिकायत है, ताकि यह धारणा दी जा सके कि सक्षम प्राधिकारी ने मुकदमा दायर होने तक वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई निर्णय नहीं लिया था।हालांकि, लिखित बयान में, प्रतिवादियों (अपीलार्थी और प्रतिवादी संख्या **20)** द्वारा स्पष्ट दावा किया गया है कि अपीलार्थी को मुकदमा भूमि आवंटित करने और परियोजना की स्थापना के लिए निर्णय विशेषज्ञ समिति के साथ उचित विचार-विमर्श और परामर्श के बाद लिया गया था, जिसमें उस संबंध में संबंधित प्राधिकारी की वैधानिक शक्तियों का प्रयोग भी शामिल है।सक्षम प्राधिकारी के इन निर्णयों में से किसी पर भी वादी द्वारा हमला नहीं किया गया है और न ही उस संबंध में कोई घोषणात्मक राहत मांगी गई है।ऐसे मामले में, स्थायी निषेधाज्ञा सरलीकरण की मांग करना पर्याप्त नहीं होगा और इस तरह दायर किए गए मुकदमे को केवल उसी आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था।इस कारण से भी, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई डिक्री न्यायिक जांच की कसौटी पर नहीं टिक सकती है।अदालतों ने इस महत्वपूर्ण पहलू को स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया है, जिसने वादी को स्थायी निषेधाज्ञा सरलीकरण की राहत के लिए अयोग्य घोषित कर दिया।**[**पैरा **14** और **15] [323-**ए-सी**; 326-**जी**]**

डी.

ई.

च

जी.

पोर्ट ऑफ कांडला बनाम हरगोविंद जसराज का न्यासी मंडल

& एन. आर. (2013) 3 एससीसी 182:[2013] 1 एस. सी. आर. 589; अनाथुला

सुधाकर बनाम पी**.** बुची रेड्डी **(**डी**)** एल**.** आर**.** और अन्य द्वारा। **(2008)**

4 एससीसी **594:[2008] 5** एस**.** सी**.** आर**. 331-**पर निर्भर।

एच.

3.1 प्रथम अपीलीय न्यायालय प्रस्तावित परियोजना की स्थापना के कारण होने वाली क्षति की केवल संभावना पर आगे बढ़ा।दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने जोर देकर कहा कि परियोजना की परिकल्पना की गई है और उस उद्देश्य के लिए सूट भूमि की पहचान की गई है।यह परियोजना एक प्रारंभिक चरण में है जिसके लिए इसे लागू करने से पहले पर्यावरण कानूनों के तहत संबंधित अधिकारियों से अनुमति प्राप्त की जाएगी।इस प्रारंभिक चरण में ही, वादी द्वारा स्थिति की उनकी समझ के आधार पर दीवानी अदालत का रुख किया गया था।इसके अलावा, विशिष्ट राहत अधिनियम, **1963** की धारा **41 (**च**)** स्पष्ट रूप से आदेश देती है कि उपद्रव को रोकने के लिए निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती है, जिसका कार्य उचित रूप से स्पष्ट नहीं है कि यह एक उपद्रव होगा।**[**पारस **17** और **18] [329-**जी**-**एच**; 330-**ए**-**बी**] 3.2** प्रत्यर्थी संख्या **20 (**महाराष्ट्र राज्य**)** का यह तर्क देना सही है कि वादी को कार्यवाही के अन्य तरीकों का सहारा लेकर समान रूप से प्रभावी राहत मिलेगी।जब परियोजना की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है और संबंधित वैधानिक व्यवस्था के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी जा रही है, तो प्रभावित पक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जिस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से विचार किया जा सकता है।इसलिए, दीवानी न्यायालय को **1963** के अधिनियम की धारा **41 (**एच**)** की शर्त के कारण भी निषेधाज्ञा को सरल नहीं बनाना चाहिए था, जिसमें यह पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है कि जब विश्वासघात के मामले को छोड़कर कार्यवाही के किसी अन्य सामान्य तरीके से समान रूप से प्रभावी राहत निश्चित रूप से प्राप्त की जा सकती है, तो निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती है।**1963** के अधिनियम की धारा **41** की योजना में भविष्यवाणी की गई है कि दीवानी न्यायालय को खंड **(**ए**)** से **(**जे**)** के माध्यम से उसमें निर्दिष्ट स्थितियों में निषेधाज्ञा देने से इनकार करना चाहिए।अदालत इस मुद्दे पर धारणाओं और अनुमानों के आधार पर जवाब नहीं दे सकती थी, वादी के अप्रमाणित दावे से बहुत कम।**[**पैरा **18] [330-**सी**-**एफ**]**

क.

ग

डी.

ई.

च

4. यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने राय दी थी कि वादी कार्रवाई योग्य उपद्रव के संबंध में वाद में निर्धारित मामले को साबित करने में विफल रहे।निचली अदालत ने अपने समक्ष विवाद का जवाब देने के लिए सबसे पहले वादी के साक्ष्य का न्यायसंगत विश्लेषण किया।प्रथम अपीलीय न्यायालय**,** तथापि**,** ए द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य को स्वीकार करने के बाद

जी.

एच.

रत्नागिरी नगर परिषद बनाम गंगाराम नारायण अम्बेडकर और ओआरएस।

307

पक्षकारों ने वादी के पक्ष में विवाद का जवाब देने के लिए पहले प्रतिवादियों के साक्ष्य में दोष खोजने के लिए आगे बढ़े।प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह ध्यान में न रखते हुए स्पष्ट त्रुटि की कि सबूत का प्रारंभिक बोझ वादी पर कार्रवाई योग्य उपद्रव के लिए अपने कारण को साबित करने के लिए था**,** जिसे वे निर्वहन करने में विफल रहे थे।ऐसे मामले में**,** बचाव पक्ष में कमजोरी वादी को राहत देने और प्रतिवादी पर बोझ डालने का आधार नहीं हो सकती है**,** जैसा भी मामला हो।इस प्रकार समझा जाए तो प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा किए गए निष्कर्षों और निष्कर्षों से वादी को कोई लाभ नहीं होगा।**[**पैरा **16] [327-**ए**-**सी**]**

कुलदिप सिंह बनाम सुभाष चंदर जैन और अन्य। **(2000)**

ग

4 एससीसी **50:[2000] 2** एस**.** सी**.** आर**. 639-**पर निर्भर था।

5. प्रत्यर्थी संख्या **1** से **19 (**वादी**)** द्वारा दायर दीवानी मुकदमे को खारिज कर दिया जाना चाहिए था**,** जैसा कि निचली अदालत ने सही किया था।वास्तव में**,** वाद को खारिज करना वादी या प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित किसी अन्य व्यक्ति के लिए संबंधित पर्यावरण कानूनों के तहत वैधानिक अनुमतियों के अनुदान के प्रस्ताव पर विचार करते हुए उपयुक्त प्राधिकरण को प्रतिनिधित्व करने के रास्ते में नहीं आएगा**,** और यदि वह निर्णय स्वीकार्य नहीं है**,** तो मामले को एनजीटी या किसी अन्य मंच के समक्ष अपील में आगे ले जाना**,** जो कानून द्वारा अनुमत हो सकता है।**[**पैरा **19] [330-**जी**-**एच**]**

डी.

ई.

निर्णीत विधि संदर्भ

[2012] 12 एससीआर **947**

पर भरोसा किया

पैरा **12**

[2013] 1 एससीआर **589**

पर भरोसा किया

पैरा **14**

[2008] 5 एससीआर **331**

पर भरोसा किया

पैरा **14**

च

[2000] 2 एस**.** सी**.** आर**. 239**

पर भरोसा किया

पैरा **17**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2020 की सिविल अपील संख्या 2412।

2015 की दूसरी अपील संख्या 771 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश से।

जी.

सोमिरन शर्मा, राकेश भटकल, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।नचिकेता जोशी, संदीप देशमुख, सुश्री सुचेता जोशी, सुश्री हिमाद्री हक्सर, विपुल तिवारी, सचिन पाटिल, राहुल चिटनिस, आदित्य पांडे, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

एच.

क.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए**.** एम**.** खानविलकर**,** जे**.**

1 . अनुमति प्रदान की गई.

2. यह अपील बॉम्बे 1 में उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील सं. 771/2015 में पारित निर्णय और आदेश से निकलती है, जिसके तहत जिला न्यायाधीश, रत्नागिरी 2 द्वारा नियमित सिविल अपील सं. 34/2011 में पारित निर्णय और डिक्री की पुष्टि की गई, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी सं. 1 से 19 (मूल वादी) द्वारा सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रभाग, रत्नागिरी 3 के न्यायालय में दायर किया गया मुकदमा अपीलार्थी और प्रतिवादी सं. 20 (महाराष्ट्र राज्य) के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए, उन्हें वाद संपत्ति में ठोस अपशिष्ट निपटान परियोजना 4 शुरू करने से रोकता है।दूसरे शब्दों में, विचारण न्यायालय ने वाद को खारिज कर दिया था, लेकिन पहले अपीलीय न्यायालय ने इसकी अनुमति (आदेश) दी, जिसे उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील में बरकरार रखा है।

डी.

3. संक्षेप में कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 19 ने रत्नागिरी जिले के फानसावले, दांडेडोम, मिर्जोल, मजगांव और केली गाँवों के विभिन्न वाडों के निवासी होने के नाते प्रतिनिधि क्षमता में 31.1.2005 पर कथित मुकदमा दायर किया।उक्त मुकदमे में उठाए गए मुद्दों की गंभीरता यह थी कि अपीलकर्ता-रत्नागिरी नगर परिषद ने गांव दांडेडोम, तालुका और जिला रत्नागिरी में 2 एच-46 आर को मापने वाले गेट संख्या 219 वाली सूट संपत्ति में एक ठोस अपशिष्ट निपटान परियोजना (परियोजना) स्थापित करने का इरादा किया था।5 , राज्य सरकार द्वारा अपीलार्थी को कौन सी भूमि आवंटित की गई थी।सूट लैंड लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।रत्नागिरी शहर की सीमा से दूर एक पहाड़ी और मैला क्षेत्र में।पूरा क्षेत्र चट्टानी और कठोर है।परियोजना की स्थापना के लिए जिस स्थान का चयन किया गया था, वह पूरी तरह से गलत सलाह थी, क्योंकि इससे इलाके के ग्रामीणों के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्या पैदा होगी और केली गांव से मझगांव, म्हामुरवाड़ी गाँवों से सखारत तक बहने वाली नदी भी अनिवार्य रूप से प्रदूषित हो जाएगी।इसके अलावा, इस नदी पर शील बांध फनसावले गांव की सीमा पर स्थित है, जो रत्नागिरी शहर को पानी की आपूर्ति करता है।इस प्रकार, इस परियोजना से बांध का पानी भी प्रदूषित होने की संभावना है।यह है।

ई.

च

जी.

1 संक्षेप में, "उच्च न्यायालय"

2 संक्षेप में, "पहला अपीलीय न्यायालय" 3 संक्षेप में, "विचारण न्यायालय"

4 संक्षेप में, "परियोजना"

5 संक्षेप में, "सूट भूमि" या "सूट संपत्ति"

एच.

रत्नागिरी नगर परिषद बनाम गंगाराम नारायण अम्बेडकर और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

309

क.

इस बात पर जोर दिया कि पूरे कोकन क्षेत्र में जून और अक्टूबर के महीनों के बीच भारी वर्षा होती है और आस-पास के क्षेत्र में नदी और अन्य धाराओं के प्रवाह की दिशा को देखते हुए, सूट संपत्ति पर ठोस कचरे के ढेर के कारण गंभीर जल प्रदूषण होने की संभावना है।शुरू में, परियोजना की स्थापना के लिए किसी अन्य स्थान की पहचान की गई थी, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण, इसे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है, जो एक चट्टानी कठोर और मैला मार्ग होने के कारण बिल्कुल भी आदर्श नहीं है।नगर पालिका क्षेत्राधिकार में अन्य परती भूमि उपलब्ध हैं, जो कई एकड़ में फैली इच्छित परियोजना के लिए अधिक उपयुक्त हैं और रत्नागिरी किले के आधार पर हैं।अधिकारियों ने वास्तव में फानसप गांव की सीमा के भीतर भटाये समुद्र तट के पास उस भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन अधिकारियों को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों से, उस स्थान पर परियोजना को जारी रखने का विचार भंग कर दिया गया है।यह दावा किया जाता है कि सूट भूमि तक कोई मौजूदा सार्वजनिक सड़क पहुंच नहीं है और ठोस कचरे को ले जाने वाले ट्रकों को कुछ वादियों सहित पड़ोस में निजी भूमि के माध्यम से पहुंच प्रदान करनी होगी।इसके अलावा, अपीलार्थी ने सक्षम प्राधिकारी (जिला परिषद/स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य अधिकारी) से कोई अनुमति नहीं ली थी।वास्तव में, सूट संपत्ति में और विशेष रूप से, पास की नदी और बांध में परियोजना की स्थापना के कारण संभावित पर्यावरणीय गिरावट के बारे में काफी शिकायत है, जो जिला रत्नागिरी के निवासियों को पानी की आपूर्ति का स्रोत है।

ग

डी.

ई.

4. अपीलार्थी ने लिखित बयान दायर किया और कथित स्थान पर परियोजना की स्थापना के कारण संभावित पर्यावरणीय गिरावट के बारे में शिकायत में किए गए हर दावे का खंडन किया।अपीलार्थी ने जोर देकर कहा कि भूमि राज्य सरकार की है और सभी संबंधितों के साथ उचित परामर्श और विचार-विमर्श के बाद ही, इसे परियोजना की स्थापना के लिए अपीलार्थी को आवंटित किया गया है।इसके अलावा, इस तरह की परियोजना की स्थापना की आवश्यकता को रेखांकित करने की आवश्यकता नहीं है।यह अपीलार्थी का एक वैधानिक दायित्व है और उस संबंध में जनहित याचिका में न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के कारण भी आवश्यक है।अपीलार्थी जिले (रत्नागिरी) के भीतर के इलाकों से दैनिक आधार पर ठोस अपशिष्ट एकत्र करने और मानक प्रोटोकॉल के अनुसार उसके निपटान के लिए तंत्र प्रदान करने के लिए बाध्य है।इस तरह के कचरे के संग्रह और निपटान की प्रक्रिया के दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, सरकार को एक विशेषज्ञ राय/रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।यह कहा गया है कि इस परियोजना को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अनुरूप सख्ती से स्थापित किया जाएगा।

च

जी.

6 संक्षेप में, "1986 का अधिनियम"

एच.

310

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 6 एस सी आर।

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2000 7 सहित पहले से ही लागू है।ये नियम इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर बनाए गए हैं।अपीलार्थी ने इस बात से इनकार किया कि परियोजना प्रदूषण का कारण बनेगी, क्योंकि सभी सावधानियां बरती जाएंगी और सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक पर्यावरण मंजूरी प्राप्त की जाएगी।यह कहा गया है कि शुरू में अधिकारियों ने परियोजना की स्थापना के लिए तीन स्थानों का चयन किया था, लेकिन यह महसूस किया गया कि अन्य दो स्थान संबंधित पर्यावरण कानूनों के तहत निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करेंगे।वास्तव में, राज्य सरकार ने परियोजना के स्थान के बारे में सिफारिशें करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की थी, जिसमें (1) क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण, (2) उप-मंडल वन अधिकारी, (3) जिला परिषद भूविज्ञानी, भूजल सर्वेक्षण और विकास मशीनरी, (4) नगर योजनाकार और (5) जिला स्वास्थ्य अधिकारी शामिल थे।उक्त समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद प्रस्तावित परियोजना की स्थापना के लिए सूट संपत्ति की पहचान आदर्श के रूप में की, जो वास्तव में सभी पर्यावरण नियमों के अनुरूप होगी।इसलिए, अपीलार्थी ने वाद में इस दावे का दृढ़ता से खंडन किया कि निर्णय अपीलार्थी द्वारा एकतरफा और उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना लिया गया था।अपीलार्थी ने किले गाँव से समुद्र तक अन्य गाँवों से बहने वाले बांध के पानी या नदी को प्रदूषित करने की संभावना के दावे का भी खंडन किया।अपीलार्थी ने वाद में तथ्यात्मक दावों का खंडन किया और वादी (प्रतिवादी संख्या 1 से 19) से उसमें बताए गए प्रासंगिक तथ्यों को प्रमाणित करने का आह्वान किया।अपीलार्थी ने विशेष रूप से इस बात से इनकार किया था कि परियोजना ढलान पर स्थापित की जाएगी, जैसा कि शिकायत में सुझाव दिया गया है।इसके अलावा, यह दावा किया जाता है कि सूट भूमि से कोई भी कचरा, जो सड़ा हुआ और गीला या प्रदूषित पानी बन जाएगा, बहने नहीं दिया जाएगा।ये सावधानियां बिना किसी अपवाद के बरती जाएंगी और सख्त शर्तें निर्धारित की जाएंगी जैसा कि आधिकारिक रिकॉर्ड से स्पष्ट है। दूसरे शब्दों में, वादी ने इसे साबित करने के लिए बिना किसी आधार के वाद में गैर-जिम्मेदाराना और तुच्छ बयान दिए हैं। अपीलार्थी के अनुसार, मुकदमा राजनीति से प्रेरित था।अपीलार्थी ने विशेष रूप से जोर देकर कहा कि परियोजना स्थल को अभी तक अपीलार्थी द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया है और वह सख्त शर्तों के लिए प्रदान की गई विशेषज्ञों की सिफारिशों का सख्ती से पालन करेगा।अपीलार्थी ने जोर देकर कहा कि वाद की कार्यवाही लंबित होने के कारण, पर्यावरण कानूनों के तहत सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति और मंजूरी को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।इस प्रकार कहा गया है कि इस परियोजना की स्थापना इसके बाद ही की जाएगी।

ग

डी.

ई.

च

जी.

7 संक्षेप में, "2000 नियम"

एच.

रत्नागिरी नगर परिषद बनाम गंगाराम नारायण अम्बेडकर और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

311

क.

अनुमतियाँ दी जाती हैं और संबंधित अधिकारियों की सख्त निगरानी में लागू की जाएंगी।अपीलार्थी ने यह भी कहा कि मुकदमा विचारणीय नहीं था और इसे लागत के साथ खारिज किया जाना चाहिए।5. प्रतिद्वंद्वी रुख के आधार पर, निचली अदालत ने निर्धारण के लिए छह मुद्दों को निम्नानुसार तैयार कियाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

मुद्दे
मुद्दे
1. क्या वादी ने यह स्थापित किया है कि विवादित ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन परियोजना पंचक्रोश के नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है?
मुद्दे
2. क्या वादी ने यह स्थापित किया है कि सूट संपत्ति ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन परियोजना के लिए सुविधाजनक नहीं है?
मुद्दे

3. क्या पी. एल. ए. ने यह स्थापित किया है कि उसके कानूनी अधिकारों में आपत्तियां और बाधाएं पैदा की गई हैं?
मुद्दे
4.क्या वादी दीवानी न्यायालय में राहत पाने के हकदार हैं?
मुद्दे
5. क्या वादी स्थायी निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त करने के हकदार हैं?
6. कौन सा आदेश और फरमान?

ग

डी.

दोनों पक्षों ने अपने रुख के समर्थन में मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए।निचली अदालत ने वादी (प्रतिवादी संख्या 1 से 19) द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद कहा कि वादी द्वारा किए गए दावे मामले की उनकी समझ पर आधारित थे और उस दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत सामने नहीं आया था।निचली अदालत ने वादी के गवाहों द्वारा दी गई इस स्वीकारोक्ति पर ध्यान दिया कि उनके द्वारा मुकदमे की संपत्ति के पास सार्वजनिक बस्तियों के अस्तित्व के तथ्य को स्थापित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया है।यह भी कि उन्हें ठोस अपशिष्ट परियोजना के बारे में कोई जानकारी या विशेषज्ञता नहीं थी और न ही उन्होंने किसी विशेषज्ञ से कोई जानकारी एकत्र की, यह कहने से पहले कि उक्त परियोजना व्यवहार्य नहीं होगी और बांध के पानी और नदी को प्रदूषण करने में सक्षम नहीं होगी।उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उनके द्वारा निर्धारित मामला उनके व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर था और इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था।जिरह में उन्होंने स्वीकार किया था कि प्रस्तावित परियोजना के लिए विवादित भूमि पर कब्जा करने से पहले नगर परिषद के परियोजना अधिकारी और अन्य अधिकारियों ने दांडेडोम के सरपंच और सदस्यों के साथ चर्चा की थी।इन स्वीकारों ने स्पष्ट रूप से वादी द्वारा बनाए गए मामले को झुठलाया कि अपीलार्थी ने प्रस्तावित परियोजना को एकतरफा और बिना किसी परामर्श के स्थापित करने का निर्णय लिया था।इसलिए विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 से 19 द्वारा दायर मुकदमे को इस प्रकार निष्कर्ष निकालकर खारिज कर दिया:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

च

जी.

एच.

"15. वर्तमान मामले में, वादी ने यह स्थापित करने के लिए ठोस सबूत नहीं दिए हैं कि प्रस्तावित परियोजना के पास आवासीय कॉलोनियां हैं।इसी तरह, उन्होंने यह स्थापित नहीं किया है कि प्रस्तावित परियोजना के कारण जल प्रदूषण कैसे होगा।यह स्थापित करने के उद्देश्य से कि प्रस्तावित परियोजना के कारण जल प्रदूषण होगा, वादी के लिए दांडेडोम नदी के प्रवाह की तथाकथित योजना स्थापित करना आवश्यक था।यह स्थापित करने के उद्देश्य से कि परियोजना के कारण जल प्रदूषण होगा, वादी के लिए विशेषज्ञ व्यक्तियों का साक्ष्य देना आवश्यक था।वादी ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि उन्होंने ठोस अपशिष्ट परियोजना की व्यक्तिगत जानकारी ली है।वादी द्वारा मुकदमे में लगाए गए आरोप उनकी व्यक्तिगत राय प्रतीत होते हैं।इसी तरह, यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी राय का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है।जैसा कि वादी ने स्थापित किया है कि भविष्य में कथित प्रदूषण होगा, स्थायी निषेधाज्ञा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।वादी ने यह स्थापित नहीं किया है कि उनके कानूनी अधिकार की उपेक्षा की गई है।वादी ने स्थायी निषेधाज्ञा देने के लिए प्रथम दृष्टया सबूत नहीं दिए हैं।

ग

डी.

11. 1 से 4 तक के मुद्दों का उत्तर नकारात्मक में दिया जा रहा है और आदेश निम्नानुसार किया जा रहा हैः

आदेश

ई.

1. मुकदमे को लागत के साथ खारिज किया जा रहा है।2. तदनुसार फरमान जारी किया जा सकता है।"

6. यह मामला प्रत्यर्थी संख्या 1 से 19/वादी द्वारा अपील में उठाया गया था।प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रतिद्वंद्वी दलीलों को स्वीकार करने के बाद अपने विचार के लिए निम्नलिखित बिंदु तैयार किएः- ए.

च

अंक
अंक
1. क्या सूट सॉलिड वेस्ट एंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट आसपास के ग्रामीणों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है जैसा कि आरोप लगाया गया है?
अंक
2. क्या सूट भूमि सुविधाजनक है और सूट ठोस अपशिष्ट और प्रबंधन परियोजना

के लिए उपयुक्त है?
अंक
3. उसे देखते हुए वादियों के वैध मामलों में बाधा और हस्तक्षेप है?
अंक
4. क्या वादी दीवानी न्यायालय के समक्ष राहत का दावा करने के हकदार हैं?
अंक
5.क्या वादी स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के हकदार हैं?
अंक
6.चाहे एल. डी. का निर्णय और डिक्री। ट्रायल कोर्ट को हस्तक्षेप की आवश्यकता है?
7. कौन सा आदेश और फरमान?

जी.

एच.

रत्नागिरी नगर परिषद बनाम गंगाराम नारायण अम्बेडकर और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

313

इसके बाद प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वादी और प्रतिवादियों (अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 20) द्वारा जांचे गए गवाहों के मौखिक साक्ष्य को स्वीकार किया और इस प्रकार राय दीः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“28. दोनों पक्षों के नेतृत्व में मौखिक साक्ष्य पर विचार करने के बाद, यह पता चलता है कि वादी के नेतृत्व में मौखिक साक्ष्य प्रतिवादियों के नेतृत्व में साक्ष्य की तुलना में अधिक विश्वसनीय और विश्वसनीय है।क्योंकि प्रतिपरीक्षा के दौरान वादी के गवाह अपनी मुख्य परीक्षा में उनके द्वारा बताए गए अपने बयान पर कायम रहे, लेकिन, यहाँ, जहाँ तक प्रतिवादी के गवाहों के साक्ष्य का संबंध है, मुख्य परीक्षा में उनके बयान को प्रतिपरीक्षा के माध्यम से ध्वस्त कर दिया जाता है, जैसा कि उन्होंने ऊपर उल्लिखित महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति दी है।यह दोनों पक्षों के नेतृत्व में मौखिक साक्ष्य से पता चलता है कि मुकदमा संपत्ति पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, जिसकी सतह पथरीली है।इससे यह भी पता चलता है कि सूट संपत्ति की ढलान दक्षिणी और पश्चिमी तरफ है।

इससे यह भी पता चलता है कि दांडेदम नदी ढलान के तल पर स्थित है।प्रतिवादियों के गवाहों ने खुद यह भी स्वीकार किया कि रत्नागिरी शहर में प्रति दिन 15 से 16 ट्रक ठोस कचरे का संग्रह होता है।यदि नदी की ओर ढलान वाली सूट संपत्ति पर इतनी बड़ी बर्बादी जमा होने वाली है, तो निश्चित रूप से यह नदी के पानी को प्रदूषित करेगा।क्योंकि वादी ने विशेष रूप से दलील दी है और कहा है कि कोंकण क्षेत्र में बरसात के मौसम में प्रति वर्ष 120 से 130 इंच बारिश होती है।इस तथ्य पर न्यायिक ध्यान दिया जा सकता है कि कोंकण क्षेत्र में हर बरसात के मौसम में भारी बारिश होती है।अगर इतनी बड़ी बर्बादी सूट संपत्ति पर जमा होने वाली है, तो निश्चित रूप से ढलान और भारी बारिश के कारण यह नदी में बह जाएगी।यदि इस तरह की बर्बादी नदी के पानी में बह जाएगी, तो इसके अपघटन के कारण, यह किण्वित हो जाएगा और यह निश्चित रूप से नदी के पानी को प्रदूषित करेगा। मान लीजिए कि नदी का पानी विभिन्न गाँवों से बहता है और डांडेदम नदी फांसवाले गाँव के आसपास शील नदी से मिल जाती है।मान लीजिए कि शील नदी पर बांध का निर्माण किया गया है जिससे रत्नागिरी शहर को पानी की आपूर्ति होती है।यदि ठोस अपशिष्ट भंडारण के कारण नदी का ऐसा अपशिष्ट प्रदूषित हो जाता है, तो शील बांध का पूरा पानी भी प्रदूषित हो जाएगा और इसके परिणामस्वरूप अंततः रत्नागिरी शहर के नागरिकों और आसपास के नागरिकों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो जाएगा।इसलिए, वादी के मौखिक साक्ष्य से पता चलता है कि प्रस्तावित परियोजना नागरिकों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, इसलिए सूट संपत्ति भी प्रस्तावित परियोजना के लिए उपयुक्त और सुविधाजनक नहीं है।"

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

पहले अपीलीय न्यायालय ने तब अभिलेख पर दस्तावेजी साक्ष्य की ओर रुख किया और इस प्रकार राय दीः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“31. यह दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य की पूरी सावधानीपूर्वक जांच से पता चलता है कि प्रतिवादी अदालत के सामने साफ हाथों से नहीं आ रहे हैं।क्योंकि दोनों पक्षों द्वारा रिकॉर्ड पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पहले एस. एन. गाँव कासोप में स्थित 137/16 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की परियोजना के लिए अधिग्रहित किया गया था, लेकिन उस परियोजना को रद्द कर दिया गया और अचानक प्रतिवादियों ने परियोजना के लिए मुकदमा संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया, जिसके लिए प्रतिवादियों द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया है।प्रतिवादियों ने कोई कारण नहीं बताया है कि उन्होंने एस. नं. 137/16 पर गाँव कासोप में परियोजना को क्यों रद्द कर दिया।मान लीजिए कि एस. नं. 137/16 वाली संपत्ति 3 से 4 कि. मी. टी. आर. की दूरी पर स्थित है।रत्नागिरी शहर से, वह भी समुद्र तट के पास।मान लीजिए कि सूट संपत्ति 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।रत्नागिरी शहर से।ऐसी परिस्थितियों में वास्तविक सवाल उठता है कि किन कारणों से प्रतिवादियों ने एस. एन. पर अपनी परियोजना को रद्द कर दिया। 137/16।इस आशय का यह वादी का मामला है कि कोहिनूर होटल की ओर से राजनीतिक दबाव के कारण उन्होंने परियोजना को रद्द कर दिया।न्यायालय के समक्ष संपूर्ण साक्ष्य पर विचार करते हुए और तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मुझे वादी की प्रस्तुतियों और साक्ष्य में इस आशय का सार मिलता है।क्योंकि, गाँव कासोप में एस. नं. 137/16 हर तरह से उपयुक्त और सुविधाजनक था और वह भी इसकी मुआवजे की राशि रु। 1,20,000-प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा ऐसी परिस्थितियों में जमा किया गया था, प्रतिवादियों के लिए उस परियोजना को रद्द करने का कोई कारण नहीं था।लेकिन यहाँ यह बिना किसी प्रशंसनीय कारण के किया गया है।

ग

डी.

ई.

च

32. प्रतिवादी नंबर 1 की प्रतिपरीक्षा से पता चलता है कि रत्नागिरी शहर में प्रतिदिन लगभग 15 से 16 ट्रक ठोस कचरा एकत्र किया जाता है।मान लीजिए, सूट संपत्ति 15 किमी. टी. आर. पर स्थित है।रत्नागिरी शहर से।डी. डब्ल्यू. 1 के साक्ष्य के अनुसार ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए प्रतिदिन लगभग 16 ट्रकों का उपयोग किया जा रहा है।यदि हम रत्नागिरी से ट्रकों द्वारा संपत्ति के लिए प्रतिदिन 16 ट्रकों के ठोस कचरे को स्थानांतरित करने के खर्च पर विचार करते हैं, तो प्रति वर्ष प्रतिवादी संख्या 1 को लाखों खर्च करने पड़ते हैं।ट्रकों के परिवहन शुल्क के भुगतान के लिए रुपये।इससे यह भी पता चलता है कि सूट संपत्ति ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपयुक्त नहीं है।इसके अलावा, ए के अनुसार

जी.

एच.

रत्नागिरी नगर परिषद बनाम गंगाराम नारायण अम्बेडकर और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

315

डी. डब्ल्यू. 1 का प्रमाण है कि ठोस कचरे के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन खुले हैं।नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2000 (जिसे इसके बाद नियम कहा जाता है) अनुसूची 2 के खंड 4 से पता चलता है कि, "अपशिष्ट के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों को शामिल किया जाएगा।अपव्यय को जनता को दिखाई नहीं देना चाहिए और न ही खुले वातावरण के संपर्क में आना चाहिए जो उनके प्रकीर्णन को रोक सके।" इसलिए, इस नियम से पता चलता है कि खुले वाहनों का उपयोग ठोस कचरे के परिवहन के लिए नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहां डी. डब्ल्यू. द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार 2 खुले वाहनों का उपयोग किया जा रहा है।यदि ऐसे खुले वाहन सूट संपत्ति तक ठोस अपशिष्ट ले जाते हैं, तो फिर से यह अपशिष्ट को बिखेर देगा और इससे प्रदूषण होगा।33. वादियों ने विशेष रूप से साबित किया है कि वाद संपत्ति पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, जिसकी ढलान नदी की ओर है, जो ढलान के तल पर स्थित है।इस संबंध में, यहाँ नियमों के प्रावधान पर ध्यान देना उचित है।प्रतिवादी नंबर 1 ने स्वयं नगर निगम ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2000 को एक्सएच में प्रस्तुत किया है। 125.इन नियमों के अवलोकन के बाद, यह पता चलता है कि इस तरह की ठोस अपशिष्ट परियोजना के लिए संपत्ति के चयन के लिए इन नियमों में कुछ दिशानिर्देश हैं।इन नियमों की अनुसूची 3 स्थल चयन से संबंधित है।अनुसूची 3 के खंड 8 से पता चलता है कि, "लैंडफिल साइट जल निकायों से दूर होगी।" यहाँ तैयार संदर्भ की अनुसूची 3 के खंड 8 को पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक है।यह निम्नानुसार है,

ग

डी.

ई.

"अनुसूची 3 (8)-लैंडफिल साइट बस्ती समूहों, वन क्षेत्रों, जल निकायों, स्मारकों, राष्ट्रीय उद्यानों, आर्द्रभूमि और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या धार्मिक रुचि के स्थानों से दूर होगी।"

च

34. यह खंड 8 स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि ठोस अपशिष्ट परियोजना जल निकायों और आवासीय समूहों से दूर होनी चाहिए।लेकिन, यहाँ मामले में, प्रस्तावित परियोजना नदी के पास स्थित है।मान लीजिए, बरसात के मौसम में पानी परियोजना

से नदी में बह जाएगा और यह नदी के पानी को प्रदूषित करेगा।इसलिए, प्रस्तावित परियोजना अनुसूची 3 के खंड 8 के खिलाफ भी है और इसलिए, यह अवैध है।

जी.

35. उपरोक्त चर्चा का सार और सार यह है कि यह एक स्वीकृत स्थिति है कि धारा संख्या 219 यानी सूट संपत्ति पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है जिसकी तलहटी नदी की ओर ढलान पर स्थित है।अगर इतनी बड़ी मात्रा में ठोस अपशिष्ट सूट पर संग्रहीत किया जा रहा है

एच.

संपत्ति, फिर बरसात के मौसम में निश्चित रूप से यह विघटित हो जाएगा और यह किण्वित हो जाएगा और यह नदी के पानी में बह जाएगा, जिसके कारण पूरी नदी का पानी और बांध का पानी प्रदूषित हो जाएगा।मान लीजिए कि रत्नागिरी शहर के नागरिकों और आसपास के नागरिकों को शील बांध के पानी की आपूर्ति की जा रही है।यदि इस तरह के प्रदूषित पानी की आपूर्ति की जाती है, तो यह नागरिकों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करेगा।प्रतिवादियों ने रिकॉर्ड पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जो दिखाएगा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भूजल सर्वेक्षण अधिकारी ने सूट संपत्ति का सर्वेक्षण किया है जो परियोजना के लिए सुविधाजनक और उपयुक्त है।सूट संपत्ति के बारे में ऐसा कोई मंजूरी प्रमाण पत्र रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं किया जाता है।इसलिए भी प्रतिवादियों ने रिकॉर्ड पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जो दिखाएगा कि वे पानी को छानेंगे और नागरिकों को इसकी आपूर्ति करेंगे।इसलिए, अगर पानी नदी में बहाया जाएगा तो निश्चित रूप से प्रदूषण होगा और यह जनता के जीवन और स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करेगा।प्रदूषित हवा, पानी और पर्यावरण प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है।भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार प्रदान किया गया है।परियोजना जनता के कल्याण के लिए बनाई जा रही है न कि उनके स्वास्थ्य और जीवन को खतरे में डालने के लिए।ऊपर बताए गए कारण के लिए, यदि परियोजना सूट संपत्ति पर बनाई जाएगी, तो [एस. आई. सी] पानी प्रदूषित हो जाएगा और यह निश्चित रूप से वादी के प्रदूषित पानी और पर्यावरण प्राप्त करने के कानूनी अधिकारों में [एस. आई. सी] हस्तक्षेप का कारण बनेगा।ऐसी परिस्थितियों में, मुझे एल. डी. की प्रस्तुतियों में पदार्थ मिलते हैं। वादी के वकील और मैं सकारात्मक, बिंदु संख्या में बिंदु संख्या 1 और 3 पर अपने निष्कर्ष दर्ज करते हैं। 2 नकारात्मक में।"

ग

डी.

ई.

उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 से 19 द्वारा दायर मुकदमे की डिक्री देने के लिए निम्नलिखित आदेश पारित कियाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

"ओ आर डी ई आर

1. अपील की अनुमति लागत के साथ दी जाती है।

2. एल. डी. द्वारा पारित निर्णय और फरमान। परीक्षण न्यायालय दिनांकित 31.01.2011 को इसके द्वारा अलग कर दिया गया है।

जी.

3. नियमित सिविल मुक़दमा सं. 25/2005 वाला मुक़दमा निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैः

(क) प्रतिवादी और उनके प्रतिनिधि को प्रस्तावित ठोस अपशिष्ट ए शुरू करने से हमेशा के लिए प्रतिबंधित किया जाता है।

एच.

रत्नागिरी नगर परिषद बनाम गंगाराम नारायण अम्बेडकर और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

317

(सूट संपत्ति पर प्रबंधन और हैंडलिंग) परियोजना अर्थात गाँव दांडेदम की गेट संख्या 219।

4. तदनुसार आदेश जारी किया जाए।"

7. व्यथित महसूस करते हुए, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील के माध्यम से मामले को उठाया।उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों और निष्कर्षों को स्वीकार करने के बाद कहा कि यह किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है, जो विकृत नहीं है और मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित है।उसकी राय में, इसलिए, विचार के लिए कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ।उच्च न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

“11. मेरे विचार में, प्रतिवादी यह साबित करने के लिए विद्वत विचारण न्यायाधीश के समक्ष किसी भी सक्षम गवाह को पेश करने में विफल रहा है कि यदि प्रस्तावित परियोजना को स्थापित करने की अनुमति दी गई थी, तो यह किसी भी स्वास्थ्य खतरे का कारण नहीं होगा या कोई प्रदूषण समस्या पैदा नहीं करेगा और उक्त गांव के ग्रामीणों को प्रभावित नहीं करेगा।मेरे विचार में अपीलीय न्यायालय द्वारा साक्ष्य की सराहना उचित है और इसमें किसी भी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

डी.

12. अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के निष्कर्ष विकृत नहीं हैं और दोनों पक्षों के नेतृत्व में मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित हैं और इस न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 के तहत दूसरी अपील में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।इस दूसरी अपील में कानून के उत्पन्न होने का कोई ठोस सवाल नहीं है।

ई.

13. दूसरी अपील गुणदोष से रहित है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है।सभी पक्ष अपना खर्च स्वयं वहां करेंगे। "

च

8. पीड़ित, अपीलार्थी ने विशेष अनुमति द्वारा वर्तमान अपील दायर की है।अपीलार्थी की शिकायत का जोर यह है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय ने वादी (प्रतिवादी संख्या 1 से 19) के दावे पर विचार करने में स्पष्ट त्रुटि की, जिसकी स्वयं वादी द्वारा पुष्टि नहीं की गई थी।वादी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में विफल रहे थे।वे कार्रवाई योग्य उपद्रव के बारे में अधिकार क्षेत्र के तथ्यों को स्थापित करने में विफल रहे थे और इसलिए उनका मुकदमा उपद्रव या भविष्य में उपद्रव की संभावना की स्थिति की उनकी समझ के आधार पर केवल आशंकाओं पर आधारित था।यह अधिकारियों के खिलाफ एक निवारक और एहतियाती स्थायी निषेधाज्ञा पारित करने के लिए एक समयबद्ध कार्रवाई थी।महत्वपूर्ण रूप से, कोई घोषणात्मक राहत नहीं मांगी गई थी और मुकदमा केवल सरल स्थायी निषेधाज्ञा देने के लिए था, जो

जी.

एच.

माना नहीं जा सकता।यह एक सट्टा मुकदमा था और वादी सबूत के अपने प्रारंभिक बोझ का निर्वहन करने में विफल रहने के कारण कोई राहत नहीं दी जा सकी।इस परियोजना की परिकल्पना सक्षम अधिकारियों द्वारा उचित विचार-विमर्श के बाद और उस संबंध में विशेषज्ञों द्वारा दी गई राय के आधार पर की गई है।इसके अलावा, यह परियोजना पर्यावरण के संरक्षण के लिए सभी शर्तों का पूरी तरह से पालन करेगी और पड़ोस में प्रदूषण पैदा करने की थोड़ी सी भी संभावना को दूर करेगी।विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तावित परियोजना के लिए भूमि की पहचान एक आदर्श भूमि के रूप में की गई है और राज्य सरकार ने भी उक्त उद्देश्य के लिए अपीलार्थी को इसे आवंटित करके मंजूरी दी थी।प्रथम अपीलीय न्यायालय का दृष्टिकोण पूरी तरह से अस्वीकार्य है, क्योंकि यह पहले वादी द्वारा दिए गए साक्ष्य की पर्याप्तता की जांच करने और यह पता लगाने में विफल रहा है कि क्या वादी ने सबूत के अपने प्रारंभिक बोझ को बिल्कुल भी पूरा नहीं किया था।हालांकि, पहले अपीलीय न्यायालय ने पहले प्रतिवादियों (अपीलार्थी और प्रतिवादी संख्या 20) के साक्ष्य की जांच करने का फैसला किया, वह भी चुनिंदा रूप से, और अपनी राय बनाने के लिए संदर्भ से बाहर इसे गलत तरीके से पढ़ा और अप्रासंगिक तथ्यों का न्यायिक नोटिस भी लिया-जो कि अनुमानों और अनुमानों से भरा होने से कम नहीं है।उच्च न्यायालय ने पहली अपीलीय अदालत द्वारा की गई ऐसी स्पष्ट और प्रमुख दुर्बलताओं के बावजूद दूसरी अपील पर विचार नहीं करने में गलती की।

ग

डी.

9. प्रतिवादी संख्या 20-महाराष्ट्र राज्य ने इस अपील का समर्थन किया है।राज्य द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि विषय मुकदमा पूरी तरह से अपरिपक्व था, क्योंकि परियोजना के लिए केवल स्थान की पहचान की गई है।यह मुकदमा अटकलों और गलत धारणाओं पर आधारित है कि यदि परियोजना को चिन्हित स्थान पर स्थापित किया जाता है, तो यह अपशिष्ट का निर्वहन करेगा और प्रदूषित पानी को सीधे नदी में प्रवाहित करने की अनुमति देगा।इस तरह की धारणा का कोई वास्तविक आधार नहीं है।यह आग्रह किया जाता है कि दीवानी/विचारण न्यायालय न केवल विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 8 की धारा 41 (च) के कारण निषेधाज्ञा दे सकता था, जो यह भविष्यवाणी करता है कि न्यायालय उपद्रव के आधार पर निषेधाज्ञा नहीं देगा, एक ऐसा कार्य जिसके बारे में यह उचित रूप से स्पष्ट नहीं है कि यह एक उपद्रव होगा, बल्कि धारा 41 (एच) के कारण भी, जिसमें यह परिकल्पना की गई है कि जब विश्वासघात के मामले को छोड़कर कार्यवाही के किसी अन्य सामान्य तरीके से समान रूप से प्रभावी राहत निश्चित रूप से प्राप्त की जा सकती है, तो निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती है।यह आग्रह किया जाता है कि वादी कथित उद्देश्य के लिए विचाराधीन भूमि के आवंटन के उचित प्राधिकरण के निर्णय (ओं) पर हमला कर सकते हैं, और परियोजना की स्थापना जो उचित अनुमति और मंजूरी के बाद लागू की जाएगी, यदि सरकार द्वारा दी जाती है।

ई.

च

जी.

8 संक्षेप में, "1963 का अधिनियम"

एच.

रत्नागिरी नगर परिषद बनाम गंगाराम नारायण अम्बेडकर और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

319

क.

संबंधित पर्यावरण कानून के तहत सक्षम प्राधिकारी।इस तरह के प्रस्ताव पर विचार करने के चरण में, परियोजना से प्रभावित होने की संभावना रखने वाला व्यक्ति संबंधित प्राधिकरण को प्रतिनिधित्व कर सकता है, और यदि प्राधिकरण का निर्णय प्रतिकूल है,

तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 9 के समक्ष अपील का उपाय कर सकता है।इसमें, न्यायाधिकरण (एन. जी. टी.) की स्थापना विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण और वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के विषय से संबंधित कार्य करने के लिए की गई है और सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर स्पष्ट प्रतिबंध है, जो 2010 के अधिनियम की धारा 29 के संदर्भ में कोई निषेधाज्ञा देने या पर्यावरण के मुद्दों से निपटने के लिए बहुत कम है। यह आग्रह किया जाता है कि 2010 के अधिनियम के लागू होने के बाद, दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र वर्जित है और इस कारण से, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई डिक्री कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है।यह आग्रह किया जाता है कि परियोजना की स्थापना के लिए कोई अन्य उपयुक्त स्थान नहीं है और विषय भूमि की उपयुक्तता के बारे में निर्णय नगरपालिका ठोस अपशिष्ट समिति द्वारा लिया गया है जो उस संबंध में विशेषज्ञ निकाय है।यहां तक कि उस निर्णय पर भी हमला नहीं किया गया है और न ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित संबंधित अधिकारियों को मुकदमे में पक्षकार बनाया गया है।यह आग्रह किया जाता है कि ठोस कचरे के परिवहन के लिए साइट पर एक अलग सड़क उपलब्ध हो और वादी द्वारा इसके विपरीत किया गया दावा शरारतपूर्ण और गलत है।राज्य ने इस अपील को स्वीकार करने और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को रद्द करने का भी आग्रह किया है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले के माध्यम से पुष्टि की है।10. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी संख्या 1 से 19 (मूल वादी) ने उन आधारों को दोहराया है जिन्होंने पहले अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय को वाद का आदेश देने और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनिवार्य निषेधाज्ञा जारी करने के लिए सराहना की थी।यह आग्रह किया जाता है कि उक्त स्थान पर परियोजना की स्थापना अनिवार्य रूप से क्षेत्र में पर्यावरण के मुद्दों को जन्म देगी और साइट पर कचरा फेंकने के कारण नदी को प्रदूषित करेगी।यह आग्रह किया जाता है कि जब मुकदमा दायर किया गया था, तो दीवानी न्यायालय कार्रवाई के कारण का निर्णय लेने और वादी द्वारा अनुरोध के अनुसार अनिवार्य निषेधाज्ञा से राहत देने के लिए सक्षम था।नतीजतन, प्रतिवादियों द्वारा दीवानी न्यायालय की क्षमता पर कभी सवाल नहीं उठाया गया।इसके अलावा, अनुपालन में शपथ पत्र पर निर्भरता रखी गई है, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि रत्नागिरी हवाई अड्डा विवादित भूमि से 6 किलोमीटर के भीतर स्थित है और उक्त हवाई अड्डे को अब नौसेना का अड्डा घोषित किया गया है।जिस विषय भूमि पर परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है, वह नौसेना अड्डे के उत्तरी हिस्से में है और

ग

डी.

ई.

च

जी.

9 संक्षेप में, "एनजीटी"

10 संक्षेप में, "2010 का अधिनियम"

एच.

रत्नागिरी शहर दक्षिण की ओर है।इस प्रकार, लागू नियमों के अनुसार प्रस्तावित स्थान पर ठोस अपशिष्ट निपटान परियोजना (परियोजना) की स्थापना के लिए एक्सप्रेस बार है।इसके अलावा, विशिष्ट स्थलाकृति के कारण, अपशिष्ट जल पड़ोस में नदी की ओर बह जाएगा और रत्नागिरी में लगभग 1 लाख की आबादी के लिए एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा होगा।यह आग्रह किया जाता है कि भविष्य में उपद्रव की वादी की आशंका निराधार नहीं थी, बल्कि यह मजबूत नींव पर आधारित है कि यह स्थल ढलान पर है और क्षेत्र में आसन्न विषाक्त समस्या पैदा करेगा।वास्तव में, प्रत्यर्थी संख्या 1 से 19 (वादी) ने उन कारणों को अपनाया है

जिन्होंने पहली अपीलीय अदालत और उच्च न्यायालय के साथ दूसरी अपील में विचार किया था और आग्रह करेंगे कि इस अपील को उक्त न्यायालयों द्वारा इस प्रकार दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष के आलोक में खारिज कर दिया जाए।

ग

11. हमने श्री राकेश भटकल और श्री सोमिरन शर्मा, अपीलार्थी के विद्वान वकील, श्री संदीप देशमुख और श्री नचिकेता जोशी, प्रतिवादी संख्या 1 से 19 के विद्वान वकील और श्री सचिन पाटिल और श्री राहुल चिटनिस, महाराष्ट्र राज्य के विद्वान वकील (प्रतिवादी संख्या 20) को सुना है।

डी.

12. हमारे विचार के लिए मूल प्रश्न 2010 के अधिनियम के अधिनियमन का प्रभाव है। यह एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एन. जी. टी.) की स्थापना के लिए एक अधिनियम है जो पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करने और व्यक्तियों और संपत्ति को नुकसान के लिए राहत और मुआवजा देने सहित पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एन. जी. टी.) की स्थापना के लिए प्रावधान करता है।अधिनियम के अध्याय III में न्यायाधिकरण की अधिकारिता, शक्तियों और कार्यवाहियों का वर्णन किया गया है।धारा 14 उन सभी दीवानी मामलों में न्यायाधिकरण (एनजीटी) की अधिकारिता से संबंधित है जहां पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न (पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन सहित) शामिल है और ऐसा प्रश्न अनुसूची I में निर्दिष्ट अधिनियमों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होता है। धारा 20 भविष्यवाणी करती है कि न्यायाधिकरण (एनजीटी), कोई भी आदेश या निर्णय या पुरस्कार पारित करते समय, सतत विकास के सिद्धांतों, एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को लागू करेगा।2010 के अधिनियम की धारा 29 का कुछ महत्व है।यह दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में एक प्रावधान है।धारा 29 इस प्रकार हैः- “29. (1) इस अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण की स्थापना की तारीख से, किसी भी दीवानी अदालत को किसी भी मामले के संबंध में किसी भी अपील पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, जिसे न्यायाधिकरण अपनी अपीलीय अधिकार क्षेत्र के तहत निर्धारित करने के लिए सशक्त है।

ई.

च

जी.

एच.

रत्नागिरी नगर परिषद बनाम गंगाराम नारायण अम्बेडकर और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

321

क.

(2) किसी भी दीवानी अदालत को विवाद का निपटारा करने या किसी भी राहत या मुआवजे या क्षतिग्रस्त संपत्ति या पर्यावरण क्षतिग्रस्त की बहाली के लिए किसी भी दावे से संबंधित किसी भी प्रश्न पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, जिस पर न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया जा सकता है, और ऐसे विवाद के निपटारे के संबंध में न्यायाधिकरण द्वारा या उसके समक्ष की गई या की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के संबंध में कोई निषेधाज्ञा या कोई राहत या मुआवजा देने या क्षतिग्रस्त संपत्ति या पर्यावरण क्षतिग्रस्त की बहाली के लिए ऐसा कोई दावा दीवानी अदालत द्वारा नहीं दिया जाएगा।"

अब तीन-न्यायाधीशों की प्रदर्शनी का विज्ञापन करना उपयोगी होगा।

भोपाल गैस पीठ महिला उद्योग संगठन और अन्य बनाम मामले में इस न्यायालय की पीठ।भारत संघ और अन्य। 11.अनुच्छेद 40 और 41 में

ग

रिपोर्ट किए गए निर्णय पर, न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दियाः- "40. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 (संक्षेप में "एनजीटी अधिनियम") के प्रावधानों और योजना को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से धारा 14,29,30 और 38 (5) को ध्यान में रखते हुए, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पर्यावरण के मुद्दों और एनजीटी अधिनियम, अनुसूची I के तहत आने वाले मामलों को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (संक्षेप में "एनजीटी") के समक्ष स्थापित किया जाना चाहिए और मुकदमा चलाया जाना चाहिए।उच्च न्यायालयों और एनजीटी के बीच आदेशों के टकराव की संभावना से बचने के लिए इस तरह का दृष्टिकोण आवश्यक हो सकता है। इस प्रकार, स्पष्ट शब्दों में, हम निर्देश देते हैं कि एन. जी. टी. अधिनियम के लागू होने के बाद स्थापित किए गए सभी मामले और जो एन. जी. टी. अधिनियम और/या एन. जी. टी. अधिनियम की अनुसूची I के प्रावधानों के तहत आते हैं, उन्हें स्थानांतरित किया जाएगा और केवल एन. जी. टी. के समक्ष ही स्थापित किया जा सकता है। इससे सभी संबंधित लोगों को पर्यावरण के क्षेत्र में त्वरित और विशेष न्याय प्रदान करने में मदद मिलेगी।

डी.

ई.

च

41. हम सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालतों के विचार के लिए रिकॉर्ड पर एक सावधानी रखना अनिवार्य पाते हैं कि एन**.** जी**.** टी**.** अधिनियम के लागू होने से पहले दायर और लंबित मामलों**,** जिसमें पर्यावरण कानूनों के प्रश्न शामिल हैं और/या एन**.** जी**.** टी**.** अधिनियम की अनुसूची **I** में निर्दिष्ट सात कानूनों में से किसी से संबंधित हैं**,** को भी विशेष न्यायाधिकरण**,** यानी एन**.** जी**.** टी**.** द्वारा निपटाया जाना चाहिए**,** जिसे एन**.** जी**.** टी**.** अधिनियम के प्रावधानों के तहत बनाया गया है। अदालतों को अच्छी तरह से सलाह दी जा सकती है कि वे अपने विवेक से ऐसे मामलों को एन**.** जी**.** टी**.** को स्थानांतरित करें**,** क्योंकि यह न्याय के प्रशासन की योग्यता में होगा।"

जी.

(जोर दिया गया)

एच.

11 (2012) 8 एससीसी 326

322

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 6 एस सी आर।

13. सवाल यह है कि क्या वर्ष 2005 में दायर किया गया मुकदमा 2.6.2010 से 2010 के अधिनियम के लागू होने और विशेष रूप से 18.10.2010 पर न्यायाधिकरण (एनजीटी) की स्थापना के परिणामस्वरूप प्रभावित होगा।वास्तव में, वर्तमान मुकदमा उस तारीख से पहले दायर किया गया था।हालाँकि, न्यायाधिकरण (एनजीटी) की स्थापना के बाद भी यह दीवानी अदालत के समक्ष लंबित था।क्योंकि, ट्रायल कोर्ट ने केवल 31.1.2011 पर मुकदमे का फैसला किया।स्वीकार करते हुए, निचली अदालत ने दीवानी अदालत की अधिकारिता पर रोक के संबंध में धारा 29 के रूप में स्पष्ट प्रावधान को भी स्वीकार नहीं किया है।वाद की अवधि और वर्तमान वाद की विषय वस्तु के अवलोकन पर, यह निर्विवाद है कि मामले में स्पष्ट रूप से पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकार के प्रवर्तन सहित पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल थे।यह कारण वादी द्वारा मांगे गए स्थायी निषेधाज्ञा की राहत का आधार था।धारा 29 और विशेष रूप से इस न्यायालय के रिपोर्ट किए गए निर्णय के पैराग्राफ 41 में दिए गए कथन के आधार पर, दीवानी न्यायालय को वाद जारी नहीं रखना चाहिए था।यह एक अलग मामला है कि निचली अदालत ने इस निष्कर्ष पर मुकदमे को खारिज करने का फैसला किया कि वादी वाद में उनके द्वारा स्थापित मामले को साबित करने में विफल रहे थे।एक बार जब मुकदमे को कानून द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, तो दीवानी अदालत मुकदमे के साथ आगे नहीं बढ़ सकती थी और सबसे अच्छा, पक्षों को 2010 के अधिनियम द्वारा बनाए गए विशेष मंच एनजीटी के समक्ष भेजा जा सकता था। वास्तव में, निचली अदालत को इस अदालत के कथित फैसले का लाभ नहीं मिला।क्योंकि, उक्त निर्णय 9.8.2012 पर प्रस्तुत किया गया था।हालाँकि, यह दिलचस्प है कि पहले अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय ने भी

2010 के अधिनियम की धारा 29 के प्रभाव और विशेष रूप से इस न्यायालय के निर्णय के बारे में विज्ञापन देना आवश्यक नहीं समझा।

ग

डी.

ई.

भोपाल गैस पीठ महिला उद्योग संगठन (ऊपर)।तथ्य यह है कि

मुकदमा पूर्व में दायर किया गया था, इसका मतलब यह नहीं है कि दीवानी न्यायालय पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकार के प्रवर्तन सहित पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के संबंध में कार्रवाई (इस मामले में, पहली अपीलीय अदालत के समक्ष पहली अपील और उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील मुकदमे की निरंतरता है) जारी रख सकता था।किसी भी मामले में, इस न्यायालय के स्पष्टीकरण के बाद संदेह की कोई कमी नहीं रही कि इस तरह के लंबित कारण/कार्रवाई को निर्णय के लिए एन. जी. टी. को स्थानांतरित किया जाना चाहिए।इस निष्कर्ष के सहवर्ती के रूप में, वादी के पक्ष में दिए गए निष्कर्ष और निष्कर्ष, विशेष रूप से प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा, कोई लाभ नहीं होंगे और कानून में अधिकार क्षेत्र और शून्यता के बिना समाप्त हो जाते हैं।

च

जी.

एच.

रत्नागिरी नगर परिषद बनाम गंगाराम नारायण अम्बेडकर और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

323

क.

14. तथापि, प्रत्यर्थी संख्या 1 से 19 द्वारा दायर की गई शिकायत भी एक अन्य मौलिक कमी से ग्रस्त है।वास्तव में, यह एक चतुराई से तैयार की गई शिकायत है, ताकि यह धारणा दी जा सके कि सक्षम प्राधिकारी ने मुकदमा दायर होने तक वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई निर्णय नहीं लिया था।हालांकि, लिखित बयान में, प्रतिवादियों (अपीलार्थी और प्रतिवादी संख्या 20) द्वारा स्पष्ट दावा किया गया है कि अपीलार्थी को मुकदमा भूमि आवंटित करने और परियोजना की स्थापना के लिए निर्णय विशेषज्ञ समिति के साथ उचित विचार-विमर्श और परामर्श के बाद लिया गया था, जिसमें उस संबंध में संबंधित प्राधिकारी की वैधानिक शक्तियों का प्रयोग भी शामिल है।सक्षम प्राधिकारी के इनमें से किसी भी निर्णय पर वादी द्वारा हमला नहीं किया गया है और न ही उस संबंध में कोई घोषणात्मक राहत मांगी गई है।ऐसे मामले में, स्थायी निषेधाज्ञा सरलीकरण की मांग करना पर्याप्त नहीं होगा और इस तरह दायर किए गए मुकदमे को केवल उसी आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था।हम उपयोगी रूप से विज्ञापन दे सकते हैं

ग

पोर्ट ऑफ कांडला बनाम बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में इस न्यायालय का स्पष्टीकरण।

हरगोविंद जसराज और अन्र। **12.**पैराग्राफ **26** से **31** में**,** न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः**- -**प**.**व**.**१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है **-**

डी.

“26. श्री अहमदी ने इसके बाद तर्क दिया कि पट्टे की समाप्ति अवैध और गैर-कानूनी होने के कारण, प्रतिवादी-वादी इसे नजरअंदाज कर सकते हैं, और जब तक वे या उनमें से कोई एक कब्जे में रहता है, तब तक पोर्ट ट्रस्ट को उनके कब्जे में

हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा का आदेश ऐसा करने के लिए सक्षम अदालत द्वारा पारित किया जा सकता है।हम उस समर्पण से प्रभावित नहीं हैं।27. पट्टा विलेख की समाप्ति एक आदेश द्वारा की जाती थी जिसे वादी को उसी को अलग करके, या किसी भी कारण से अमान्य घोषित करके, इससे छुटकारा पाना चाहिए, ऐसा करने की अनुमति हो सकती है।किसी भी आदेश के माथे पर इसके वैध या अमान्य होने का लेबल नहीं होता है।इस तरह के किसी भी आदेश से प्रभावित किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए अनुमत अवधि के भीतर इसके खिलाफ निवारण की मांग करनी चाहिए।हम इस संबंध में निम्नलिखित बार-बार उद्धृत अंश का उल्लेख कर सकते हैं।

ई.

च

स्मिथ बनाम ईस्ट एलो रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (1956 एसी 736)।

आदेश की अयोग्यता स्थापित करने के लिए न्यायालय का सहारा लेने की आवश्यकता के बारे में निम्नलिखित टिप्पणियां हैं:

जी.

"... एक आदेश, भले ही सद्भावना से नहीं किया गया हो, फिर भी एक ऐसा कार्य है जो कानूनी परिणामों में सक्षम है।इसके माथे पर अयोग्यता का कोई निशान नहीं है।जब तक आवश्यक कार्यवाही नहीं की जाती

एच.

12 (2013) 3 एस. सी. सी 182

324

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 6 एस सी आर।

कानून में अयोग्यता के कारण को स्थापित करने और इसे रद्द करने या अन्यथा परेशान करने के लिए, यह अपने स्पष्ट उद्देश्य के लिए उतना ही प्रभावी रहेगा जितना कि सबसे त्रुटिहीन आदेश।' [स्मिथ मामला (1956 ए. सी. 736) पीपी. 769-70]

(जोर दिया गया) यह समान रूप से सच होना चाहिए, भले ही अयोग्यता का ब्रांड स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो:क्योंकि वहाँ भी अदालत का निर्णय प्राप्त करके ही कानून में आदेश का प्रभावी ढंग से विरोध किया जा सकता है।पेटेंट और अव्यक्त दोषों के बीच अंतर किए बिना हाउस ऑफ लॉर्ड्स और प्रिवी काउंसिल में बार-बार अदालत का सहारा लेने की आवश्यकता की ओर इशारा किया गया है।" [एड.:वेड और फोर्सिथ

ग

प्रशासनिक कानून में, 7 वीं संस्करण, 1994।]

28. उपरोक्त मामले को इस अदालत ने कृष्णादेवी में मंजूरी दी थी।

मालचंद कामथिया बनाम बॉम्बे एनवायरनमेंटल एक्शन

समूह [(2011) 3 एस. सी. सी. 363], जिसमें इस न्यायालय ने टिप्पणी की:(एस. सी. सी. पीपी. 369-70, पैरा 19)

डी.

"19. इस प्रकार, उपरोक्त से यह पता चलता है कि भले ही आदेश/अधिसूचना अमान्य/अमान्य हो, लेकिन इससे व्यथित पक्ष यह निर्णय नहीं ले सकता है कि उक्त आदेश/अधिसूचना उस पर बाध्यकारी नहीं है।इस तरह की घोषणा के लिए उसे अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है।आदेश काल्पनिक रूप से अमान्य हो सकता है और भले ही इसकी अयोग्यता को किसी दी

गई परिस्थिति में अदालत के समक्ष चुनौती दी जाती है, अदालत याचिकाकर्ता की स्थिति या देरी के आधार पर या छूट के सिद्धांत या किसी अन्य कानूनी कारण सहित विभिन्न आधारों पर इसे रद्द करने से इनकार कर सकती है।आदेश एक उद्देश्य के लिए या एक व्यक्ति के लिए अमान्य हो सकता है, यह दूसरे उद्देश्य या किसी अन्य व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं हो सकता है।"

ई.

च

29. पुणे में इस न्यायालय का निर्णय भी इसी प्रभाव से है

नगर निगम।बनाम महाराष्ट्र राज्य [(2007) 5 एस. सी. सी. 211]

जिसमें इस न्यायालय ने सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किसी आदेश की अयोग्यता के निर्धारण की आवश्यकता पर चर्चा कीः(एस. सी. सी. पीपी. 225-26, पैरा 36 और 38-39)

जी.

"36. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि किसी भी आदेश को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है जब तक कि यह निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जाता है कि यह अवैध, अमान्य या कानून के अनुरूप नहीं था।प्रो.वेड कहते हैंः

'यह सिद्धांत समान रूप से सही होना चाहिए, भले ही "अयोग्यता का ब्रांड" स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होःक्योंकि वहाँ भी आदेश ए हो सकता है

एच.

रत्नागिरी नगर परिषद बनाम गंगाराम नारायण अम्बेडकर और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

325

प्रभावी रूप से केवल अदालत का निर्णय प्राप्त करके कानून में विरोध किया जा सकता है '[एच. डब्ल्यू. आर. वेड, प्रशासनिक कानून (6 वीं संस्करण, क्लेरेंडन प्रेस, ऑक्सफोर्ड 1988) 352]।

वह आगे कहता हैः'मामले की सच्चाई यह है कि अदालत किसी आदेश को तभी अमान्य करेगी जब सही व्यक्ति द्वारा सही कार्यवाही और परिस्थितियों में सही उपाय मांगा जाए।आदेश काल्पनिक रूप से अमान्य हो सकता है, लेकिन अदालत वादी की स्थिति की कमी के कारण इसे रद्द करने से इनकार कर सकती है, क्योंकि वह विवेकाधीन उपचार का हकदार नहीं है, क्योंकि उसने अपने अधिकारों को माफ कर दिया है, या किसी अन्य कानूनी कारण से।ऐसे किसी भी मामले में "शून्य" आदेश प्रभावी रहता है और वास्तव में वैध होता है।यह इस प्रकार है कि एक आदेश एक उद्देश्य के लिए अमान्य और दूसरे के लिए वैध हो सकता है और यह कि यह एक व्यक्ति के खिलाफ अमान्य हो सकता है लेकिन दूसरे के खिलाफ वैध हो सकता है।' [एच. डब्ल्यू. आर. वेड, प्रशासनिक कानून (छठा संस्करण, क्लेरेंडन प्रेस, ऑक्सफोर्ड 1988)

ग

डी.

***38. पंजाब राज्य बनाम गुरदेव सिंह [(1991) 4 एस. सी. सी. 1] मामले में इसी तरह का एक सवाल इस अदालत के समक्ष विचार के लिए आया।...

ई.

39. सभी अदालतों द्वारा पारित डिक्री को दरकिनार करते हुए और कई मामलों का उल्लेख करते हुए, इस अदालत ने कहा कि यदि आदेश की अयोग्यता से व्यथित पक्ष यह घोषणा करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहता है कि उसके खिलाफ आदेश निष्क्रिय था, तो उसे निर्धारित अवधि के भीतर अदालत के समक्ष आना चाहिए।

च

सीमा।' यदि सीमा का वैधानिक समय समाप्त हो जाता है, तो अदालत मांगी गई घोषणा नहीं दे सकती है।'"

(जोर दिया गया) 30।आर. तिरुविरकोलम बनाम पीठासीन अधिकारी [(1997) 1 एस. सी. सी. 9] में इस न्यायालय के निर्णयों का भी उल्लेख किया जा सकता है।

जी.

, केरल राज्य बनाम एम. के. कुन्हीकन्नन नाम्बियार मंजेरी मनिकोथ [(1996) 1 एस. सी. सी. 435] और तैयबभाई एम. बागसरवाला बनाम हिंद रबर इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड। [(1997) 3 एससीसी 443], जहाँ

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि कोई आदेश प्रभावी रहेगा और कानूनी परिणामों की ओर ले जाएगा जब तक कि उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित नहीं किया जाता है।

एच.

31. यह सच है कि उपरोक्त कुछ मामलों में, यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उत्पन्न होने वाली कार्यवाही पर विचार कर रहा था, जिसके तहत शक्तियों का प्रयोग विवेकाधीन है लेकिन फिर विशिष्ट राहत अधिनियम के तहत घोषणात्मक राहत का अनुदान है

प्रकृति में भी विवेकाधीन।एक दीवानी अदालत उचित मामलों में अच्छे और वैध कारणों से एक घोषणात्मक डिक्री को अस्वीकार कर सकती है जो अदालत को अपने विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से रोकती है।केवल इसलिए कि मुकदमा समय के भीतर है, अदालत के लिए घोषणा करने का कोई कारण नहीं है।यह कहने के लिए पर्याप्त है कि घोषणा के लिए मुकदमा दायर करना वादी के लिए आवश्यक परिस्थितियों में था।ठीक यही है।

वादी ने इस उद्देश्य के लिए निर्धारित सीमा की अवधि से परे कोई मामला क्यों नहीं लाया।इस तरह का मुकदमा न तो अनावश्यक था और न ही वादी के कब्जे में रहने के अधिकार के लिए व्यर्थता इस बात पर निर्भर करती थी कि पट्टा मौजूद था या समाप्त हो गया था।इसलिए, समय के भीतर मुकदमा लाने के लिए पट्टे पर दिए गए क्षेत्र पर वादी द्वारा दावा किए गए स्वामित्व अधिकारों पर वापस आना संभव नहीं है, विशेष रूप से जब हमने कब्जे के प्रश्न पर विचार करते समय यह अभिनिर्धारित किया है कि कब्जा भी लिया गया था।"

ग

डी.

(जोर दिया गया)

ई.

हम अनाथुला सुधाकर बनाम पी. बुची रेड्डी का भी उल्लेख कर सकते हैं।

((घ) एल. आर. और अन्य द्वारा। 13, जिसमें इस न्यायालय ने राय दी कि जहां वाद में स्वामित्व के संबंध में अभिकथनों का उल्लेख किया गया है, लेकिन यदि मामले में स्वामित्व से संबंधित तथ्य और कानून का जटिल प्रश्न शामिल है, तो न्यायालय पक्षकारों को केवल निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमे में मुद्दे का निर्णय करने के बजाय स्वामित्व की घोषणा के लिए एक व्यापक मुकदमे के उपचार के लिए खारिज कर देगा।

च

15. इन आदेशों में अंतर्निहित सिद्धांत को लागू करते हुए, क्योंकि वर्तमान मामले में वादी द्वारा कोई घोषणा नहीं मांगी गई है, इसलिए सरल स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा आगे नहीं बढ़ाया जा सका।इस कारण से भी, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई डिक्री न्यायिक जांच की कसौटी पर नहीं टिक सकती है।अदालतों ने इस महत्वपूर्ण पहलू को स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया है, जिसने वादी को स्थायी निषेधाज्ञा सरलीकरण की राहत के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था।

जी.

13 (2008) 4 एससीसी 594 ए

एच.

रत्नागिरी नगर परिषद बनाम गंगाराम नारायण अम्बेडकर और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

327

16. चाहे जो भी हो, विचारण न्यायालय के निर्णय को निष्पक्ष रूप से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने यह राय दी थी कि वादी कार्रवाई योग्य उपद्रव के संबंध में वाद में निर्धारित मामले को साबित करने में विफल रहे।निचली अदालत ने अपने समक्ष विवाद का जवाब देने के लिए सबसे पहले वादी के साक्ष्य का न्यायसंगत विश्लेषण किया।हालांकि, पहला अपीलीय न्यायालय, पक्षों द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य को स्वीकार करने के बाद, वादी के पक्ष में विवाद का जवाब देने के लिए पहले प्रतिवादियों के साक्ष्य में गलती खोजने के लिए आगे बढ़ा।प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह ध्यान में न रखते हुए स्पष्ट त्रुटि की कि सबूत का प्रारंभिक बोझ वादी पर कार्रवाई योग्य उपद्रव के लिए अपने कारण को साबित करने के लिए था, जिसे वे निर्वहन करने में विफल रहे थे।ऐसे मामले में, बचाव पक्ष में कमजोरी वादी को राहत देने और प्रतिवादी पर बोझ डालने का आधार नहीं हो सकती है, जैसा भी मामला हो।इस प्रकार समझा जाए तो प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा किए गए निष्कर्षों और निष्कर्षों से वादी को कोई लाभ नहीं होगा।

ग

17. जो भी हो, पहले अपीलीय न्यायालय को यह रखना चाहिए था

कुलदिप सिंह बनाम सुभाष चंदर में बताए गए सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए

डी.

जैन और ओआरएस। **14.**रिपोर्ट किए गए निर्णय के पैराग्राफ **6** से **8** और **10** में**,** न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः**- -** प**.**व**.**१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है **-**

“6. एक क्विया टाइम-टाइम कार्रवाई इक्विटी में एक बिल है।यह प्रकृति में एक निवारक कार्रवाई है और एहतियाती न्याय की एक प्रजाति है जिसका उद्देश्य गलत या प्रत्याशित शरारत को रोकना है और किसी गलत या शरारत को पूर्ववत नहीं करना है जब यह पहले ही किया जा चुका हो।ऐसी कार्रवाई में अदालत, यदि आश्वस्त हो जाती है, तो प्राप्तकर्ता की नियुक्ति या सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देकर या निषेधाज्ञा या कोई अन्य उपचारात्मक प्रक्रिया जारी करके हस्तक्षेप कर सकती है।फ्लेचर बनाम बेली [(1885) 28 सीएचडी 688] में, श्री जस्टिस पियर्सन ने कार्यों की समय-सीमा के बारे में कानून को इस प्रकार समझायाः

ई.

च

“ क्विया टाइम**-**टाइम एक्शन के लिए कम से कम दो आवश्यक तत्व होते हैं।यदि कोई वास्तविक क्षति साबित नहीं होती है**,** तो आसन्न खतरे का प्रमाण होना चाहिए**,** और इस बात का भी प्रमाण होना चाहिए कि यदि अनुमानित क्षति आती है**,** तो वह

बहुत बड़ी होगी।मुझे लगभग यह कहना चाहिए कि यह साबित किया जाना चाहिए कि यह अपूरणीय होगा, क्योंकि, यदि खतरा इतना आसन्न साबित नहीं होता है कि कोई संदेह नहीं कर सकता है कि यदि उपचार में देरी होती है तो नुकसान होगा, मुझे लगता है कि यह दिखाया जाना चाहिए कि, यदि नुकसान किसी भी समय होता है

जी.

एच.

14 (2000) 4 एससीसी 50

328 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 6 एस. सी. आर.

समय, यह इस तरह से और ऐसी परिस्थितियों में आएगा कि वादी के लिए इससे खुद को बचाना असंभव होगा यदि उसे राहत देने से इनकार कर दिया जाता है।

एक समयबद्ध कार्रवाई "।

7. केर ऑन इंजंक्शंस **(**छठा संस्करण, **1999)** में "खतरे वाली चोट" पर कानून को निम्नानुसार बताया गया हैः

"न्यायालय सामान्य रूप से तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि कोई वास्तविक उपद्रव नहीं किया जाता है; लेकिन वह अपने अधिकार क्षेत्र के आधार पर ऐसे कार्यों को रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है, जो पूरा होने पर कार्रवाई का आधार बनेंगे, किसी भी वास्तविक उपद्रव को करने से पहले हस्तक्षेप करेंगे, जहां यह संतुष्ट है कि शिकायत किया गया कार्य अनिवार्य रूप से होगा।

ग

इसके परिणामस्वरूप उपद्रव होता है।हालाँकि, वादी को इस संभावना का एक मजबूत मामला दिखाना चाहिए कि अदालत को हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करने के लिए वास्तव में पकड़ी गई शरारत उत्पन्न होगी।यदि यह मानने का कोई कारण नहीं है कि अदालत के हस्तक्षेप को लागू करने से पहले गंभीर चरित्र की शरारत का कोई खतरा है, तो निषेधाज्ञा नहीं दी जाएगी।

डी.

8. हमारी राय में वास्तव में अस्तित्व में एक उपद्रव उपद्रव या भविष्य में उपद्रव की संभावना से अलग आधार पर खड़ा है। वास्तव में मौजूद उपद्रव का मूल्यांकन इसकी मात्रा के संदर्भ में किया जा सकता है और वह राहत जो वादी को उसके अधिकारों को हुई चोट से लगातार बचाएगी या क्षतिपूर्ति करेगी, वह भी है

ई.

तैयार करने में सक्षम।भविष्य में उपद्रव के मामले में, चोट की केवल संभावना वादी को कार्रवाई का कारण प्रदान नहीं करेगी जब तक कि खतरा इतना निश्चित या आसन्न न हो कि कानून में कार्रवाई योग्य चोट तब तक उत्पन्न होगी जब तक कि किसी निषेधाज्ञा द्वारा रोका न जाए।अदालत को हस्तक्षेप करने से पहले पूर्ण निश्चितता के प्रमाण या उचित संदेह से परे सबूत की आवश्यकता नहीं हो सकती है; लेकिन संभावना का एक मजबूत मामला कि वास्तव में पकड़ी गई शरारत उत्पन्न होगी

च

वादी।दूसरे शब्दों में, भविष्य में कार्रवाई योग्य होने के लिए उपद्रव या तो आसन्न होना चाहिए या इस तरह की क्षति होने की संभावना होनी चाहिए जो एक बार होने की अनुमति देने के बाद अपूरणीय होगी।कार्रवाई योग्य भविष्य के उपद्रव की एक और श्रेणी हो सकती है जब प्रतिवादी का संभावित कार्य स्वाभाविक रूप से खतरनाक या हानिकारक होता है जैसे कि राजमार्ग के पार या बच्चों के स्कूल या ए के आसपास एक खाई खोदना।

जी.

एच.

रत्नागिरी नगर परिषद बनाम गंगाराम नारायण अम्बेडकर और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

329

आवासीय इलाके के बीच में अत्यधिक ज्वलनशील उत्पादों से संबंधित दुकान खोलना।

XXX

XXX

XXX

10. वर्तमान मामले में, यह विवादित नहीं है कि मुकदमा दायर करने की तारीख को भट्टी चालू नहीं थी।भट्टी (बेकिंग ओवन) कोई ऐसी गतिविधि नहीं है जो अपने आप में अवैध या स्वाभाविक रूप से खतरनाक या हानिकारक हो।यह भी नहीं कहा जा सकता है कि भट्टी केवल इसलिए कि इसका निर्माण किया गया है या चालू हो गया है, ऐसी क्षति पैदा करेगी जो अपूरणीय होगी या कानून द्वारा ज्ञात प्रक्रिया द्वारा देखभाल करने में असमर्थ होगी।वादी द्वारा उठाई गई दलीलें वादी को हुई या होने की संभावना वाली चोट की प्रकृति और सीमा, यदि कोई हो, को निर्धारित नहीं करती हैं और न ही कर सकती हैं।उच्च न्यायालय ने एक स्थान पर कहा है कि भट्टी से "धुआं, गर्मी और गंध निकलेगी" जो इलाके के निवासियों के लिए एक उपद्रव होगी।एक अन्य स्थान पर यह कहा गया है कि "धुआं, गैसें और राख आदि।" जो भट्टी से उत्सर्जित होते थे, वे निश्चित रूप से इलाके के निवासियों के लिए एक उपद्रव होंगे।इस प्रकार दर्ज किए गए निष्कर्ष दोलनशील हैं और स्पष्ट और विशिष्ट नहीं हैं।वे.

ग

डी.

अनुमान लगा रहे हैं।उपद्रव के बारे में एक स्पष्ट निष्कर्ष कुछ गवाहों के सामान्यीकृत बयानों के आधार पर दर्ज नहीं किया जा सकता था, जिसमें कहा गया था कि एक भट्टी से धुआं, गर्मी और गंध निकलती है, जो बयान गवाहों का केवल अस्पष्ट बयान होगा।भट्टी से निकलने वाली गैसों, राख आदि के बारे में उच्च न्यायालय द्वारा किए गए अवलोकन के लिए अभिवचनों या साक्ष्य में कोई आधार नहीं है।हमारी राय में, समयबद्ध कार्रवाई का कोई मामला नहीं बनाया गया था।वादी द्वारा दायर किया गया मुकदमा अपरिपक्व था।निवारक निषेधाज्ञा के माध्यम से बहुत कम, किसी भी राहत की अनुमति नहीं दी जा सकती थी

ई.

च

वादी।हमारी राय में, वादी द्वारा दायर किए गए मुकदमे को वादी को कार्रवाई के कारण के प्रमाण पर उचित मुकदमा दायर करने की स्वतंत्रता के साथ खारिज कर दिया जाना चाहिए, जो यहाँ ऊपर की गई टिप्पणियों के अनुरूप है।"

जी.

(जोर दिया गया) हमें यह विचार रखने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि पहला अपीलीय न्यायालय प्रस्तावित परियोजना की स्थापना के कारण होने वाली क्षति की केवल संभावना पर आगे बढ़ा।दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने कहा कि परियोजना की कल्पना की गई है और मुकदमा दायर किया गया है

एच.

330

इसके लिए भूमि की पहचान की गई है।यह परियोजना एक प्रारंभिक चरण में है जिसके लिए इसे लागू करने से पहले पर्यावरण कानूनों के तहत संबंधित अधिकारियों से अनुमति प्राप्त की जाएगी।इस प्रारंभिक चरण में ही, वादी द्वारा स्थिति की उनकी समझ के आधार पर दीवानी न्यायालय का रुख किया गया था।

18. इसके अलावा, 1963 के अधिनियम की धारा 41 (च) स्पष्ट रूप से आदेश देती है कि उपद्रव को रोकने के लिए निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती है, एक ऐसा कार्य जिसके बारे में यह उचित रूप से स्पष्ट नहीं है कि यह एक उपद्रव होगा।इसी तरह, प्रत्यर्थी संख्या 20 (महाराष्ट्र राज्य) का यह तर्क सही है कि वादी को कार्यवाही के अन्य तरीकों का सहारा लेकर समान रूप से प्रभावी राहत मिलेगी।जब परियोजना की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है और संबंधित वैधानिक व्यवस्था के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी जा रही है, तो प्रभावित पक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जिस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से विचार किया जा सकता है।इसलिए, दीवानी न्यायालय को 1963 के अधिनियम की धारा 41 (एच) की शर्त के कारण भी निषेधाज्ञा को सरल नहीं बनाना चाहिए था, जिसमें यह पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है कि जब विश्वासघात के मामले को छोड़कर कार्यवाही के किसी अन्य सामान्य तरीके से समान रूप से प्रभावी राहत निश्चित रूप से प्राप्त की जा सकती है, तो निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती है।1963 के अधिनियम की धारा 41 की योजना में भविष्यवाणी की गई है कि दीवानी न्यायालय को खंड (ए) से (जे) के माध्यम से उसमें निर्दिष्ट स्थितियों में निषेधाज्ञा देने से इनकार करना चाहिए।2018 के अधिनियम 18 द्वारा उस प्रावधान में हाल के संशोधन में खंड (हा) जोड़ा गया है, ताकि यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जा सके कि दीवानी न्यायालय को निषेधाज्ञा देने से इनकार करना चाहिए यदि यह किसी भी बुनियादी ढांचा परियोजना को पूरा करने की प्रगति में बाधा या देरी करेगा, जैसे कि वर्तमान परियोजना।वास्तव में, यह संशोधित प्रावधान वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है।हालाँकि, अदालत इस मुद्दे पर धारणाओं और अनुमानों के आधार पर जवाब नहीं दे सकती थी, वादी के अप्रमाणित दावे से बहुत कम।

ग

डी.

ई.

च

19. मामले के किसी भी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी संख्या 1 से 19 (वादी) द्वारा दायर दीवानी मुकदमे को खारिज कर दिया जाना चाहिए था, जैसा कि निचली अदालत द्वारा सही किया गया था।वास्तव में, वाद को खारिज करना वादी या प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित किसी अन्य व्यक्ति के लिए संबंधित पर्यावरण कानूनों के तहत वैधानिक अनुमतियों के अनुदान के प्रस्ताव पर विचार करते हुए उपयुक्त प्राधिकरण को प्रतिनिधित्व करने के रास्ते में नहीं आएगा, और यदि वह निर्णय स्वीकार्य नहीं है, तो मामले को एनजीटी या किसी अन्य मंच के समक्ष अपील में आगे ले जाना, जो कानून द्वारा अनुमत हो सकता है।हम इस संबंध में सभी प्रश्नों को खुला छोड़ते हैं।

जी.

एच.

रत्नागिरी नगर परिषद बनाम गंगाराम नारायण अम्बेडकर और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

331

क.

20. तदनुसार, यह अपील सफल होती है और प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को दरकिनार कर दिया जाता है।नतीजतन, वादी (उत्तरदाता संख्या 1 से 19) द्वारा दायर दीवानी मुकदमा अब तक की गई टिप्पणियों के साथ खारिज हो जाता है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।लंबित अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

अपील की अनुमति दी गई।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.